अनुदान संख्या 84 – जहाजरानी विभाग
GRANT No. 84–DEPARTMENT OF SHIPPING

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*		*92,78,00*	*92,78,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1111,50,00			
			1111,52,00	900,59,69	–210,92,31
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				209,83,96
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	589,50,00			
			589,51,00	399,76,97	–189,74,03
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				185,88,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7590.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–7590.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	31748.00		19488.70	19489.96	+1.26
पु.	R.	–12259.30				
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses					
मू.	O.	56670.00				
पू.	S.	1.00		56357.05	56701.44	+344.39
पु.	R.	–313.95				
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping					
मू.	O.	3347.00		2538.38	2248.60	–289.78
पु.	R.	–808.62				
मुख्य शीर्ष "3056" अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport					
मू.	O.	10361.00				
पू.	S.	1.00		10436.00	10434.00	–2.00
पु.	R.	74.00				

(I) 7845.03 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से 7590.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" "अंतर्देशीय जल परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.7845.03 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.7590.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Inland Water Transport – Assistance to Public Sector Undertakings – Inland Waterways Authority of India" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के लिए सहायता अनुदान (पोत निर्माण)'' - 425.00 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''पोत निर्माण आर्थिक सहायता'' - 1094.59 लाख रु. की बचत (17318.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रत्येक चरण में कार्य के पूरा होने की धीमी प्रगति की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) ''गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पोत प्रांगण और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगण को आर्थिक सहायता'' - 10498.31 लाख रु. की बचत (13200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - महानिदेशालय'' - 178.80 लाख रु. की बचत (1187.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय'' -

(i) ''प्रबंधन'' - 126.48 लाख रु. की बचत (1485.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई ।

(ii) ''पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज'' - 108.15 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2007-08 के लिए पूंजीगत परिव्यय पर वास्तविक ब्याज की गणना किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries – Transport Equipment Industries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants-in-aid for Research and Development Schemes (Ship-building)" – saving of Rs.425.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs); and

(B) "Ship-building Subsidy" - saving of Rs.1094.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17318.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from Public Sector Undertakings owing to slow progress of completion at each stage.

(C) "Subsidy to non-central PSU Shipyards and Private Sector Shipyards" - saving of Rs.10498.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13200.00 lakhs) was due to non-receipt of approved proposals from competent authority.

(III) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Lighthouses and Lightships" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of Rs.178.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1187.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Lighthouses -Working Expenses" -

(i) "Management" - saving of Rs.126.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1485.50 lakhs) was due to non--filling up of vacant posts.

(ii) "Interest on Capital Outlay" - saving of Rs.108.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to calculation of actual interest on capital outlay for 2007–08.

(खा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास'' -

(क) ''अन्य मद (अनुसंधान और विकास स्कीम)'' - 1723.97 लाख रु. की बचत (1774.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशुल्क नियामक प्राधिकरण को अनुदान'' - 148.64 लाख रु. की बचत (360.67 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - जहाजरानी महानिदेशक'' 764.55 लाख रु. की बचत (1880.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेश दौरों के मूर्तरूप न लेने, विज्ञापन पर कम व्यय होने और सरकारी प्रतिभूति मुद्रणालय से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''विनियमन तथा निरीक्षण - व्यापारी बेड़ा विभाग'' - 261.96 लाख रु. की बचत (1055.71 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 350.26 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान के 23 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2605.80 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2008 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष ''3051'' -

(क) ''मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में अनुरक्षण और तलकर्षण'' - 2042.85 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2041.78 लाख रु. था।

(B) "General - Research and Development" –

(a) "Other items (R & D Scheme)" - saving of Rs.1723.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1774.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals.

(b) "Grants to Tariff Regulatory Authority" - saving of Rs.148.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.67 lakhs) was due to delay in approval of project.

(IV) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Director General of Shipping" - saving of Rs.764.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1880.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of foreign tours, less expenditure on advertisement and non-receipt of bills from Government Security Press.

(B) "Regulation and Inspection - Mercantile Marine Department" - saving of Rs.261.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1055.71 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(V) Under four heads savings of Rs.350.26 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 23 percent to 75 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.2605.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re–appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2008 under the following major heads:-

(A) Major Head "3051" -

(a) "Major Ports - Assistance to Port Trusts - Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Calcutta Port Trust" - Rs.2042.85 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2041.78 lakhs.

(ख) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय'' -

(i) ''मूल्यह्रास आरक्षित निधि'' - 200.00 लाख रु.।

(ii) ''सामान्य आरक्षित निधि'' - 158.95 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3056'' - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान - 204.00 लाख रु. थे। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 203.00 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

(b) "Lighthouses and Lightships – Lighthouses – Working Expenses" –

(i) "Depreciation Reserve Fund" – Rs.200.00 lakhs.

(ii) "General Reserve Fund" – Rs.158.95 lakhs.

(B) Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grant to Inland Water Ways Authority of India" - Rs.204.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.203.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries				
मू.	O.	1101.00			
पू.	S.	1.00	1880.00	1678.00	–202.00
पु.	R.	778.00			
मुख्य शीर्ष ''5051'' पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	34176.00	21207.80	21726.97	+519.17
पु.	R.	–12968.20			
मुख्य शीर्ष ''5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	6150.00	1400.00	1400.00	. .
पु.	R.	–4750.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5075'' अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	14773.00	13925.00	13922.00	–3.00
पु.	R.	–848.00			
मुख्य शीर्ष ''6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries		1950.00	1250.00	–700.00
मुख्य शीर्ष ''5075'' पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों के लिए कर्ज	Major Head "5075" Loans for Ports and Light Houses				
मू.	O.	800.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–800.00			

(I) 4002.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3851.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियरिंग लि.'' - 201.00 लाख रु. हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियरिंग लि. से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5052'' -

(क) ''समुद्रपार जहाजरानी - अन्य व्यय - सर्वेक्षण जलयान'' - 1900.00 लाख रु. नए सर्वेक्षण जलयानों के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.4002.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.3851.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4858" – "Other Industrial Machinery Industries – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Hooghly Dock and Ports Engineering Ltd." - Rs.201.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Hooghly Dock and Ports Engineering Ltd.

(B) Major Head "5052" -

(a) "Overseas Shipping - Other Expenditure – Survey Vessels" –Rs.1900.00 lakhs – due to delay in approval for acquisition of new survey vessels.

(ख) ''सामान्य - अन्य व्यय - ई-शासन'' - 200.00 लाख रु. ई-शासन के अंतर्गत स्कीमों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण थे।

(b) "General – Other Expenditure – E-Governance" – Rs.200.00 lakhs – due to non-implementation of schemes under E-Governance.

(गा) मुख्य शीर्ष ''5075'' - ''अन्य - अन्य व्यय - मुख्य पत्तन के लिए वेब आधारित इलेक्ट्रानिक डाटा अंतर्बदल का विकास'' - 750.00 लाख रु. संविदा के अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(C) Major Head "5075" - "Others - Other Expenditure - Development of Web based Electronic Data Interchange for Major Port" - Rs.750.00 lakhs - due to delay in approval of contract.

(घा) मुख्य शीर्ष ''7051'' - ''मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज'' - 800.00 लाख रु. पत्तन न्यासों से कर्ज प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(D) Major Head "7051" – "Major Ports - Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Port Trust" - Rs.800.00 lakhs - due to non-receipt of loan proposals from Port Trusts.

(II) मुख्य शीर्ष ''5051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head "5051" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन'' -

(A) "Minor Ports - Other Small Ports" –

(क) ''अवतरण सुविधाएं और घाटों का निर्माण'' - 3089.66 लाख रु. की बचत (6136.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अत्यधिक जलवायुपरक परिस्थितियां होने, संरचनात्मक डिजाइन का परिशोधन किए जाने, उपस्करों के अनुमोदन तथा पूर्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Construction of landing facilities and jetties" - saving of Rs.3089.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6136.00 lakhs) was due to extreme climatic conditions, revisions of structural design and delay in approval and supply of equipments.

(ख) ''सुनामी पश्चात निर्माण कार्य'' - 8488.59 लाख रु. की बचत (10509.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(b) "Post Tsunami Works" – saving of Rs.8488.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10509.00 lakhs) was due to delay in approval of some of the projects.

(खा) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत'' -

(B) "Lighthouses and Lightships" –

(क) ''प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और सुधार'' - 535.57 लाख रु. की बचत (2220.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं/स्कीमों के पूरा न होने के कारण हुई।

(a) "Construction and Development of Lighthouses - Construction and Improvement of Lighthouses" - saving of Rs.535.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2220.00 lakhs) was due to non-completion of some of the projects/ schemes.

(ख) ''अन्य नौसंचालन सहायता सामग्री का निर्माण और विकास - जलयानों का क्रय और प्रतिस्थापन'' - 125.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के

(b) "Construction and Development of Other Navigational Aids – Purchase and replacement of vessels" – saving of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट यार्ड द्वारा धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय समुद्रतटवर्ती विश्वविद्यालय का विकास'' के अंतर्गत 2600.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं/स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''6858'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - हुगली डाक तथा पत्तन इंजीनियरी लि.'' - 200.00 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड'' - 500.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा कर्ज प्रस्तावों का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 97.71 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (778.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''पोत निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 777.00 लाख रु. था।

provision of Rs.200.00 lakhs) was due to slow progress by Public Sector Unit Yard.

(III) Under Major Head "5052" - "General – Other Expenditure – Development of Indian Maritime University" – saving of Rs.2600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-approval of some of the projects/schemes.

(IV) Under Major Head "6858" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Industrial Machinery Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hooghly Dock and Ports Engineers Ltd." – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs); and

(B) "Transport Equipment Industries - Loans for Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Shipyard Ltd." - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-approval of loan proposals by the Ministry of Finance.

(V) Under one head saving of Rs.97.71 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (Rs.778.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "4858" - "Ship Building Industries – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Shipyard Ltd." Actual excess, however, was Rs.777.00 lakhs.